

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 345/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि., रजिस्टर्ड आफिस 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स नाथी ब्रिक्स कम्पनी प्रो. सरदीप धनकड  
नारायणपुर रोड ग्राम व पोस्ट भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।  
11, खाती कुम्हारों का मोहल्ला, ग्राम भांकरी तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. सरदीप धनकड पुत्र री शिवराम धनकड  
11, खाती कुम्हारों का मोहल्ला, ग्राम भांकरी तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
3. शिवराम धनकड पुत्र श्री चन्द्रराम धनकड
4. कुलदीप धनकड पुत्र श्री शिवराम सिंह धनकड  
वार्ड नं. 4 ग्राम भांकरी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 4.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.11.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री शिव राम धनकड के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नं. 60 मिसल नं. 608 ग्राम पावटा ग्राम पंचायत पावटा पंचायत समिति विराटनगर जिला जयपुर क्षेत्रफल 169.56 वर्गगज को बन्धक रख कर 20,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.07.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। धारा 134 (2) के नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग के डिलीवर्ड/ट्रैकिंग रिपोर्ट को फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002, की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री शिव राम धनकर का स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नं. 60 मिसल नं. 608 ग्राम पावटा ग्राम पंचायत पावटा पंचायत समिति विराटनगर जिला जयपुर क्षेत्रफल 169.56 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।



6. आदेश आज दिनांक 4-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर